"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 630] नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अगस्त 2025 — श्रावण 16, शक 1947

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 15–11/15–02/2025/18/1906. – छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16–ग की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये ''जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15–11/15–02/2025/18/1082 दिनांक 02–04–2025 जारी की गई थी।

(2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत ''प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025'' के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची–एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(3) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 की कंडिका 05–(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिला कोरबा के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची–एक, दो एवं तीन को जारी करता है। संबंधित सदस्य/व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति, सचिव, छत्तीसगढ़ भाासन, सहकारिता विभाग को संबोधित करते हुए ''कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, ब्लॉक–बी, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन–492002'' में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 22.08.2025 तक प्रस्तुत कर सकेगें। लिफाफे के ऊपर ''जिला कोरबा, की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन हेतु अभ्यावेदन/दावा या आपत्ति'' अंकित किया जावे। निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा।

(4) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर, ''जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' की अनुसूची–एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :– अनुसूची–एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.

जिला कोरबा, छत्तीसगढ. की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025

अनुसूची – एक

संबद्ध बैंक – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
1	2	3	4
1	निरंक		

जिला कोरबा, छत्तीसगढ. की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025
अनुसूची – दो

संबद्ध बैंक – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	भैंसमा	कुदुरमाल	कुदुरमाल, देवरमाल, अखरापाली, बरीडीह, कटबितला, उरगा, सेमीपाली, बरबसपुर
2	कोरकोमा	चचिया	तौलीपाली, कुदमुरा, चचिया, मदनपुर, पसरखेत,
3	जवाली	रंजना	झाबर, बतारी, बिंझरी, रंजना, ढुरैना, देवगांव, फुलझर, झालकछार, दीपका, पुरेनाखार, मलगांव, बेलटिकरी, राल, बसंतपुर, डोकरीखार
4	जटगा	तुमान	तुमान, डोंगरतराई, बरतराई, कुटेशरनगोई, अमलडीहा, भुलेझरिया, पचधार, अमझर, डुमरमुड़ा, पोंड़ीगोसाई, बरबसपुर, छेवधरा, खोडरी, बनवार, पुटुवा, बनखेता, कांसामार,
5	बिंझरा	तानाखार	तानाखार, बरपाली, अमलीभवना, घरीपखना, घुंचापुर, केनाडांड, बांझीबन, हथमार, गुडरूमुडा, कोड़ा, डंगनिया ,दर्राभांठा, सिरकीकला, रामपुर, आमाखोखरा, कापुबहरा,जुराली, कसनिया
6	सिरमिना	नवापारा(सि0)	नवापारा(सि.), सिमगा, घोंसरा, पालढुरेना, कोठीखर्रा, सरपता, जामकछार, गडरा
7	कोरबी 3088	परला	परला, कापानवापारा, मड़ई (हरमोड़), लमना, चोटिया, बनिया, घुंचापुर, लालपुर, लाद
8	पाली	बक्साही	बक्साही, चेपा, हरनमुड़ी, तालापार, राहाडीह (तालापार), मुनगाडीह, डोंगानाला, गणेशपुर (डोंगानाला), खैराडुबान, सेमरकछार (खैराडुबान)
9	निरधी	परसदा	परसदा, बापापुती(परसदा) ,शिवपुर

10	चैतमा	डोंडकी	डोंडकी, नवापारा (बम्हनीखुर्द), पटपरा, नानबांका, बडेबांका, मदनपुर, सगुना
11	उतरदा	बोईदा	ओझियाईन, बोईदा, मुरली, कसियाडीह, झांझ
12	हरदीबाजार	नोनबिर्रा	उड़ता, छिन्दपानी, तिवरता, नोनबिर्रा, पखनापारा, पुटा, रतिजा, लिटियाखार
13	कोरबी 304	ढोलपुर	ढोलपुर, खम्हरिया, जोरहाडबरी
14	करतला	केरवाद्वारी	सेन्द्रीपाली, केरवाद्वारी, नोनबिर्रा, बोडाछाप डोंगाआमा, श्रीमार, बांधापाली, पिडिया
		मदवानी	चोरभट्टी, कछार
15	रामपुर		मदवानी, चारमार,
16	नवापारा	खुंटाकुड़ा(बेंहरचुवा)	बेंहरचुवा, सुवरलोट, खुंटाकुड़ा, बोकरदा
17	चिकनीपाली	छातापाट(लबेद)	लबेद, कांशीपानी, सुपातराई, रींवाबहार
	तुमान		जामपानी, छातापाट
18	बरपाली	पुरैना	पुरैना, जर्वे
19	सुखरीकला	कर्रापाली (उमरेली)	उमरेली, कर्रापाली, टोण्डा, लीमगांव, ढ़िटोरी, सराईपाली

जिला कोरबा, छत्तीसगढ. की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025

अनुसूची – तीन

संबद्ध बैंक – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसायटी जिसमें आपवर्जित क्षेत्र जुडा है।
1	2	3	4	5
1	निरंक			

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.